संख्या–भा0स0 118/14–2–2017–800 (34)/2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई, 2017**

विषयः–एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा–कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.3 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.5 तक 24.008 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना में कुल 46.808 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/06/32/2017/ एफसी/58, दिनांक 23–6–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 11 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 23–6–2017 के साथ प्रस्ताव नहीं उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव 01प्रतिं में प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी 11 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–प्रस्ताव 01प्रति।

भवदीय,

BSingh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।